

21

माननीय म०प्र० राजस्व मण्डल अवरियर कैम्प भोपास म०प्र०  
प्र०क्र० / 2014 R. 522-II14

उप-सुलझिदाक हीण्ड  
कलिय तीर-लीकर  
मोडक 02/03/14  
30-1-14

वदन सिंह पुत्र श्री टोटाराम मीणा  
आयु 57 वर्ष अंधा कृषि निवासी  
ग्राम अमोदा तहसील वीजला विदिशा  
म०प्र० ---- निगरानीकर्ता  
वनाम

*(Signature)*

1. म०प्र० इतिन
2. देवराज मैना पुत्र श्री रानीसिंह मैना  
निवासी ग्राम सायर सेरुडेणो तह०व  
जिला विदिशा
3. अर्धनारायणमृत्रनाथूराम नामदेव  
निवासी ग्राम गोदरमळ गोंधी नगर  
तह० हवूर जिला भोपास ---अना०

8-2-14

निगरानी अन्तर्गत धारा 50म०प्र०कुरा० संख्या विरुद्ध आदेश  
दिनांक 24.1.14 न्यायालय प्रीमान नायक तहसीलदार विदिशा  
के प्र०क्र०02 /अ-6/12-13 में जारीत आदेश दिनांक 24.1.14  
के विरुद्ध

माननीय महोदय

निगरानीकर्ता जी और से निगरानी निम्नप्रस्तुत है:-

संक्षिप्त में तथ्यइस प्रकार हैकि ग्राम सायर व०ह०नं०29  
पुराना।। तह०वीजला विदिशा स्थित भूमि सर्वेक्रमांक 11 रक्बा  
3.627 है० , 216 रक्बा 0.029 है०, 220 रक्बा 0.063 है०,  
221 रक्बा 0.073 है०, 265 रक्बा 2.299 है०, 266 रक्बा 0.157  
है० , 323 रक्बा 4.745 है०, 329 रक्बा 0.084 है० कुल कित्ता 8

*(Signature)*



XXIX(a)-BR(H)-11

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-522-एक/14

जिला - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	<p>आवेदक की ओर से यह, निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26.12.19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">   <b>प्रशासकीय सदस्य</b> </p> <p style="text-align: left;">  </p>	